प्रभात खबर

Jehanabad : नकली सामान बेचने के आरोप में दो दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज

जहानाबाद. शहर में नकली सामान की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. पुलिस ने नकली सामान बेचने के आरोप में काको रोड स्थित दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में छापेमारी कर बरामद नकली सामान के आधार पर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली समान बरामद किया है. इस संदर्भ में कंपनी के फील्ड ऑफिसर विशाल मंडल के लिखित शिकायत पर नगर थाने में दो दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. शिकायतकर्ता ने बताया है कि उनकी कंपनी का काम रॉक्सी तथा आशीर्वाद पाइप्स के सामानों की देखरेख करना व जांच-पड़ताल करना है, ताकि बाजार में कॉपीराइट कर उसका कोई नकली उत्पाद न बेच सके. सूचक ने बताया है कि मुझे नकली इलेक्ट्रिक सामान पंखा तथा नकली प्लंबिंग सामान वॉटर टैंक पंप व कंपनी से संबंधित बनने व बिकने वाले उत्पादों की जांच करने एवं पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है. नकली व असली समान की पहचान का प्रशिक्षण भी कंपनी द्वारा दिया गया है. फील्ड ऑफिसर ने कहा कि कंपनी को गुप्त सूचना मिली कि जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के काको रोड स्थित दो दुकान में असली के नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा है, जिसकी जांच-पड़ताल की गई तो पता चला कि बस स्टैंड के समीप नारायण फर्नीचर के नाम से संचालित दुकान के मालिक उदय शंकर द्वारा हमारी कंपनी रॉक्सी के नाम से नकली पंखा बेचा जा रहा है. वहीं माधव नगर के समीप नवदुर्गा ट्यूबलेस के मालिक मुकेश कुमार जो कर्पूरी नगर के रहने वाले हैं. उनके द्वारा हमारी कंपनी आशीर्वाद के नाम से नकली वॉटर टैंक एवं सबमर्सिबल पंप बेचा जा रहा है. साथ में सस्ता एवं घटिया माल बेचकर कंपनी की छवि धूमिल कर रहे हैं एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा सरकार के टैक्स की चोरी कर निजी लाभ कमाया जा रहा है. नकली सामान बेचने की सूचना पर फील्ड ऑफिसर ने काको रोड में संचालित नगर थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी की. छापेमारी के दौरान दोनों दुकानों से रॉक्सी एवं आशीर्वाद कंपनी के लाखों रुपए के नकली सामान बरामद किया गया, जिसमें रॉक्सी नाम के नकली 30 टेबल फैन, आशीर्वाद कंपनी का नकली 19 सबमर्सिबल एवं तीन वॉटर टैंक शामिल है. बरामद नकली सबमर्सिबल, पंखा एवं पानी टैंक की कीमत 3 लाख से अधिक बताई जाती है. इस बाबत थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि पुलिस ने जब दुकानदार से बरामद सामान से संबंधित कंपनी के कागजात की मांग की तो दुकान मालिक द्वारा किसी भी तरह का कागज प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर थाना लाया. बरामद सभी सामान नकली बताये जाते हैं.

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/jehanabad/jehanabad-fir-lodged-against-two-shopkeepers